

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.4(11)चिस्वा/2/2014

जयपुर, दिनांक : 15-6-17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत गठित स्कीनिंग 'कमेटी ने डॉ. प्रकाश चन्द तंवर, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग), जन्म तिथि 26.05.1960 के नाम पर विचार कर इनके विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित होने के कारण इनका पदोन्नति का परिणाम बन्द लिफाफे में रखने की अभिशंषा की गई।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक : प.1(049)कार्मिक/क-3/2012 दिनांक 20.01.2017 के द्वारा डॉ. तंवर के विरुद्ध विभागीय जांच को समाप्त किये जाने के उपरान्त डा. तंवर के बन्द लिफाफे को खोला जाकर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत डॉ. प्रकाश चन्द तंवर, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग), जन्म तिथि 26.05.1960 को दिनांक 11.07.2011 से वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग) के पद पर (वेतनमान 15600-39100 में ग्रेड पे 7600/-) पदोन्नत किया जाता है। उक्त अधिकारी उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप यथावत पदस्थापित रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

sd-

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक
- 5- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
- 6- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन
- 7- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- 8- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 9- कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
- 10- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करावें।

(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव